7 मार्च, 2009 को 1700 बजे सायाजी गार्डन म्यूजियम, एम.एस. यूनिवर्सिटी रोड के समीप, वड़ोदरा में वार्षिक विरासत व्याख्यान में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का अभिभाषण

इस राज्य में अपनी पहली यात्रा के दौरान वड़ोदरा में आना मेरे लिए खुशी की बात है। सुखद संयोग से यह एक ऐसा अवसर है जो कि मुझे प्रिय है। देश में हेरिटेज ट्रस्ट अपने आप में एक अनोखा संस्थान है; यह संस्थान संरक्षण के वास्ते तथा विरासत के प्रति अधिक सकारात्मक रवैया अपनाने के लिए हमारे समाज तथा राज्यतंत्र को अधिक संवेदनशील बनाने के लिए विरासत से संबंधित विविध पृष्ठभूमि के पेशेवर व्यक्तियों को एक साथ जोड़ता है। इसलिए, इस वर्ष का विरासत भाषण देना मैं एक विशेषाधिकार ही मानता हूं।

मैं अपनी बात कुछ प्रश्नों से शुरू करने जा रहा हूं। विरासत क्या है? इसका महत्व क्यों है? हमारे समाज ने अपनी आने वाली पीढ़ियों को युगों-युगों से इसे आत्मसात करने, प्रेषित करने तथा इसके और अधिक सृजन के लिए समय क्यों व्यतीत किया और प्रयास क्यों किए हैं?

विरासत का एक सामान्य अर्थ उत्तराधिकार अथवा बपौती है। इस संदर्भ में इससे संबंधित *आथर* का अर्थ खोज, अवशेष अथवा प्राचीन स्मारक है; इस प्रकार शब्दों 'इल्म अल आथर' का प्रयोग पुरातत्व तथा 'दार अल आथर' का अर्थ 'पुरावशेष का संग्रहालय' होता है। इसी के परिणामस्वरुप मध्ययुगीन अरबी शायर ने कहा है:

तिल्का आथर-ओ-ना-तदाल्लुन अलैयना

फा उनजुरु बाद-ओ-ना इलाल आथर

'ये हमारे कार्य हैं, ये कार्य हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति हैं;

जब हम यहां से चले जाएंगे तो हमारे कार्य को धारण किए रखना'

आप में से कुछ लोगों ने एडवर्ड गिब्बन की ग्रेट हिस्ट्री के अंतिम अध्याय को पढ़ा होगा। इस अध्याय की शुरुआत, पश्चिमी साम्राज्य की समाप्ति के नौ सौ वर्ष उपरांत प्राचीन रोम के अवशेषों के निरीक्षण करते हुए 15वीं शताब्दी के इतिहासकार पोग्गियस के उद्धरण से होती है। पूरे परिदृश्य को एक वाक्य में कहा जा सकता है: सार्वजनिक और निजी भवन जिनकी चिरकाल के लिए नींव रखी गई थी, वह नष्ट हो चुके हैं, खण्ड़हर बन चुके हैं, तथा एक विशालकाय भवन के टूटे हुए हिस्सों के समान हैं; तथा अवशेष उन विशालकाय स्मृति चिन्हों, जो कि समय तथा भाग्य की चोटें खाकर भी अपना अस्तित्व बनाए हुए थे, से अधिक स्पष्ट रुप से दिखाई दे रहे हैं।

गिब्बन का अपना मूल्यांकन दार्शनिकता का दर्द समाए हुए है तथा वह विश्व में इसी प्रकार की किसी स्थिति के समान हो सकता है:

'मनुष्य इस बात की कला जानता है कि वह अपने अस्तित्व के संक्षिप्त विस्तार की तुलना में अधिक स्थायी स्मारकों का निर्माण कर सकता है; तथापि, ये स्मारक, उसकी ही तरह, नष्ट तथा कमजोर होते हैं; तथा समय के असीम इतिवृत में उसके जीवन तथा श्रम को अनित्य क्षण के समान ही मापा जाना चाहिए।'

यद्यपि यह गुजरता पल अनमोल है और यह हमें अगले प्रश्नों की ओर ले जाता है। अत: वर्तमान के प्रति अपनी समझ तथा भविष्य के लिए अपनी आशाओं पर अतीत की समझ की, इसके संदर्भ तथा सृजन की क्या भूमिका है?

विरोधाभास की किसी शंका के बिना ऐसा कहा जा सकता है कि इसका रूप संवारने में पिछली पीढ़ियों की तुलना में हमारी पीढ़ी ने बहुत कुछ किया है।

आप सब 'युनेस्को' के कार्य, इसकी विश्व विरासत समिति से भली-भांति परिचित हैं जिसका बुनियादी सिद्धांत यह है कि प्रत्येक की सांस्कृतिक विरासत सभी की सांस्कृतिक विरासत है। विश्व विरासत सम्मेलन के संबंध में प्रमाणिकता पर नवम्बर, 1994 के 'नारा दस्तावेज' में अधिक ध्यान दिया गया, जिसमें कहा गया है कि सारी

मानवता के लिए 'विश्व में अपनी संस्कृति और विरासत की विविधता आध्यात्मिक और बौद्धिक समृद्धि का एक अद्वितीय स्त्रोत है' और यह कि विश्व में सांस्कृतिक और विरासत वैविध्य के संरक्षण और इसकी वृद्धि को मानवीय विकास के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में सक्रियता से बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

निस्संदेह यह राष्ट्रीय दायित्व है यद्यपि अर्न्तराष्ट्रीय सहायता मांगी गई है और कई मामलों में यह दी भी गई है। भारत में हमने इस बारे में क्या सोचा है?

मूल कर्त्तव्यों से सम्बद्ध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(क) में प्रत्येक नागरिक से यह अपेक्षा की गई है कि वह अपनी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे।

संविधान में इस अनुच्छेद को शामिल किए जाने के तीन दशकों के बाद भी विरासत परिरक्षण और प्रबंधन की धारणा और परम्परा पर इसके प्रभाव के मूल्यांकन का यही समय है। मैं इसके कुछ पहलुओं का उल्लेख करना चाहूंगा।

सबसे पहले, विरासत परिरक्षण मुख्यत: उच्चतम स्तर से निम्नतम स्तर तक तथा सरकार-प्रेरित प्रक्रिया रही है जिसमें नागरिकों और समाज की नाममात्र की भागीदारी है। इसके उल्लेखनीय अपवाद हैं और "इनटेक" (आईएनटीएसीसच) ऐसा ही एक अपवाद है। दस हजार से भी कम स्मारक हैं जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य पुरातत्व विभागों द्वारा परिरक्षित हैं। इन स्मारकों के अलावा कुछ ही सार्वजनिक स्थल विरासत परिरक्षण के दायरे में आते हैं। इसकी तुलना में 2.5 मिलियन की आबादी वाला 'लातविया' के पास आठ हजार परिरक्षित विरासत स्थल है।

यद्यपि सामुदायिक विकास के माध्यम से विरासत संरक्षण का व्यापक उद्देश्य और हितार्थी के रूप में समुदाय के साथ "बॉटम-अप" दृष्टिकोण मान्य है, तथापि इसका वास्तविक बोध अभी भी किया जाना है।

दूसरे, परिरक्षण में आम जनता की न्यूनतम भागीदारी के बावजूद भी विधायिका, न्यायपालिका तथा मीडिया ने विरासत परिरक्षण तथा समर्थन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। विधान के अनुसार पंजाब और महाराष्ट्र विरासत परिरक्षण के लिए राज्य-स्तरीय विधान बनाने में अग्रणी रहे हैं।

विरासतों के परिरक्षण के लिए कई राज्यों में अधिशासी विनियम अधिसूचित किए गए हैं और इन्होंने पुरातात्विक, ऐतिहासिक और सौंदर्यिक महत्व की इमारतों के लिए एक रूपरेखा प्रदान की है। इनमें तटीय सीमाओं और चट्टानों के निर्माण जैसी पर्यावरणीय और प्राकृतिक विशेषताएं भी शामिल हैं। न्यायपालिका ने ऐतिहासिक संरचनाओं के विध्वंस को रोकने और ऐसी औद्योगिक या अन्य गतिविधियों को रोकने में, जो विरासत वाले स्मारकों को क्षति पहुंचा सकती हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

तीसरे, भारत में विरासत स्थलों में न केवल ऐतिहासिक स्मारक मौजूद हैं, बल्कि स्थानीय जनता के लिए वे सतत् रूप से वास स्थल भी रहे हैं। परिरक्षण प्रयासों को नगरीय आयोजना और विकास की आवासीय तथा अन्य अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं के साथ संतुलित करना पड़ेगा। ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत, जो स्थिर होती है, जीवंत सांस्कृतिक विरासत के साथ विद्यमान होती है, जो गतिशील होती है और विरासत स्थल का स्वामित्व रखने वाले, वहां रह रहे और उनका उपयोग कर रहे व्यक्तियों की जरूरतों की दृष्टि से सतत परिवर्तनशील होती है। ऐसा बहुत कम मामलों में होता है कि विरासत परिरक्षण आर्थिक प्रगति और सांस्कृतिक पुनरूद्धार दोनों के लिए एक साधन के रूप में उभर कर सामने आए।

एक चौथा बिंदु बढ़ते हुए वैश्वीकरण और समरूपण और सांस्कृतिक विशिष्टता पर इसके प्रतिकूल प्रभाव से संबंधित है। विगत में जिसे स्वीकृत मान लिया गया था, उसका अब अन्वेषण किया जाना है और लोगों ने बेहतर तरीके से यह समझने के लिए

कि वे कौन हैं और अपनी संस्कृतियों और सभ्यता के सारभूत मूल्यों की पहचान करने के लिए अपना आत्मावलोकन किया है और अपने भूतकाल पर दृष्टि डाली है।

यह प्रक्रिया बहु-जातीय, बहु-भाषायी और बहु-धर्मीय देशों में और भी जटिल है जब राष्ट्रीय पहचान की एक व्यापक आधार वाली संरचना के निर्माण में विगत के समन्वयात्मक सूत्रों की पहचान करना महत्वपूर्ण हो जाता है।

अंत में, वास्तविक और अस्पष्ट विरासतों के संबंध में राष्ट्रीय और सामुदायिक बयानबाजियां न केवल राजनीतिक हो गई हैं, बल्कि वास्तव में इनका उपयोग राजनीतिक समर्थन जुटाने के साधनों के रूप में भी किया गया है। भारत और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में विरासत परिरक्षण के लिए इसने एक सर्वाधिक गंभीर चुनौती उत्पन्न की है। अफगानिस्तान में बामियान स्थित बुद्ध प्रतिमा और अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया जाना बहुत अच्छी तरह दर्शाता है कि कट्टरवादी दृष्टिकोणों से उत्पन्न पहचान संबंधी मुद्दों ने किस प्रकार पुरातत्वीय और विरासत स्थलों के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है।

देवियो और सज्जनो.

हम अपनी विरासतों की व्याख्या कैसे करते हैं, यह एक नजरिए, ज्ञान की गहराई और दृष्टिकोण की व्यापकता का विषय है। बनावटी नजरिए, जिसके परिणामस्वरूप भूतकाल को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है, वैज्ञानिक इतिहास-लेखन के परीक्षण में टिके नहीं रह पाते; न तो वे राष्ट्रीय एकजुटता और न ही इसके माध्यम से राष्ट्रीय हित के उद्देश्य को पूरा करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संस्कृति को चर्मपत्र पर उत्कीर्ण लेख के रूप में वर्णित किया है जिस पर उत्तरोत्तर पीढ़ियों की छापें अस्पष्ट रूप से घुलमिल गई हैं।

उनके पास यह कहने की अंतर्दृष्टि थी कि 'यदि हम भारत की भविष्य रूपी इमारत को मजबूत, सुरक्षित और सुन्दर बनाना चाहते हैं, तो हमें उसकी नींव के लिए गहरी खुदाई करनी पड़ेगी'।

मेरे विचार से इस दृष्टिकोण की व्याख्या करने के लिए उस कार्य से बेहतर कोई दृष्टांत नहीं हो सकता है जो हेरिटेज ट्रस्ट और इनटेक द्वारा चम्पानेर-पावागढ़ पुरातत्व उद्यान को यूनेस्को विश्व विरासत केन्द्र के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने को सुनिश्चित कराने के लिए किया गया है। यह गुजरात की मिली-जुली संस्कृति और हमारे राष्ट्र की वैविध्यपूर्ण संस्कृति के स्वरूप को परिलक्षित करता है। यह स्थल पुरातत्व, इतिहास और जीवंत सांस्कृतिक विरासत का बेहतरीन उदाहरण है जिसमें प्रागैतिहासिक-कालीन स्थलों और उसके इतिहास में हिन्दू, जैन और इस्लाम धर्मों के शक्तिशाली प्रभावों को ही नहीं, अपितु उसके आस-पास के मिथकों एवं किवदंतियों को भी शामिल किया गया है। इसकी राज्य और देश के लिए समकालीन प्रासंगिकता है।

इस मामले को राज्य अभिकरणों तक ही सीमित नहीं रहने देना चाहिए। जब तक कि साधारण नागरिक हमारी विरासत की समृद्धि को समझ नहीं लेते हैं, और इसके संरक्षण में अधिक प्रत्यक्ष भूमिका का निर्वाह करने के लिए उन्हें अधिकार सम्पन्न नहीं किया जाता है तब तक यह खतरा बना रहेगा कि भारत की विविधता एवं उसमें अन्तर्निहित विजातीयता समाप्त हो जाएगी जिसका नुकसान हम सभी को उठाना पड़ेगा।

मैं पुन: श्री हसमुख शाह और हेरिटेज ट्रस्ट को विरासत व्याख्यान देने के लिए मुझे आमंत्रित करने हेतु धन्यवाद देता हूं और इस ट्रस्ट से जुड़े सभी लोगों के लिए सफलता की कामना करता हूं।